



7

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - /2019 निगरानी
भारमा-0183/2019/शाजापुर/भूरा
कमल चौधरी पिता बद्रीलाल चौधरी,
निवासी मोमन बड़ौदिया तहसील मोमन बड़ौदिया
जिला शाजापुर — आवेदक

विरुद्ध

1. रेखा विधवा गिरीराज
2. हेमन्त पुत्र गिरीराज
3. सपना नाबालिक संस्था/माला
4. वंदना पुत्री गिरीराज नाबालिक
सरपरस्त माता रेखाबाई जाति कुल्मी,
निवासी ग्राम कुम्हारिया खास तहसील मोमन
बड़ौदिया जिला शाजापुर म.प्र.

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.सं.

माननीय महोदय,

अधीनस्थ योग्य न्यायालय श्रीमान आयुक्त आयुक्त महोदय उज्जैन
संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 360/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक
27-10-2018 में पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के
आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अपीलांत द्वारा रेस्पान्डेंट रेखाबाई के पति गिरीराज पिता
बद्रीलाल से उनके संयुक्त कृषि खाता कुल किता 24 कुल रकबा 12.68 हेक्टर
में से गिरीराज को ब्राहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि सर्वे नंबर 191 रकबा 1.00
हेक्टर में से 0.40 हेक्टर भूमि क्रय की।

यह कि अपीलांत द्वारा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात उसका

643
14-1-19

प्रार्थी अधिभाषक श्री श्री. आर. यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 14/01/19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0183/2019/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 27.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्रहय की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	